कार्यालय आयुक्त,गन्ना एवं चीनी,उत्तर प्रदेश।
17,न्यू बेरी रोड डालीबाग,लखनऊ।

पत्रांक 8/9056c /विकास अनुभाग/लखनऊ दिनांक 07, मई, 2018

1. समस्त क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त।
2. समस्त जिला गन्ना अधिकारी।
उत्तर प्रदेश।

विषयः—विभाग में संचालित विकास योजनाओं के अन्तर्गत एन.पी.के. वितरण को स्वायल हेल्थ कार्ड से लिंक करने के सम्बन्ध में।

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या—कै./72/सी./विकास अनुभाग दिनांक 30 अगस्त, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विभाग में संचालित योजनाओं के अन्तर्गत कृषकों में वितरण होने वाले पोषक तत्वों को स्वायल हेल्थ कार्ड से लिंक कराते हुए स्वयल हेल्थ कार्ड की रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक तत्वों की मात्रा के अनुपात में ही कृषकों को वितरित किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये है। तद्क्रम में गन्ने की उत्पादन लागत में कमी लाने, गन्ने की उत्पादकता एवं चीनी परता में वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक है कि एन.पी.के. का प्रयोग स्वायल हेल्थ कार्ड से लिंक कराते हुए स्वयल हेल्थ कार्ड की रिपोर्ट के आधार पर कृषकों को उपलब्ध कराया जाय।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि विभाग में गन्ना समितियों/गन्ना परिषदों के माध्यम से वितरित होने वाले एन.पी.के. के वितरण को स्वायल हेल्थ कार्ड से लिंक कराते हुए स्वायल हेल्थ कार्ड की संस्तुति के अनुसार ही एन.पी.के. का गन्ने की खेती में उपयोग किया जाय। साथ ही यह भी नोट कर लें कि अनावश्यक रूप से एन.पी.के. का वितरण किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(संजय आर. भूसरेड्डी)
आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी उद्योग, उ.प्र.

पत्रांक तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निदेशक, गन्ना किसान संस्थान, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, चीनी मिल संघ, 9ए राणाप्रताप मार्ग, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, चीनी निगम, गोमतीनगर लखनऊ।

(आर.पी.यादव)
अपर गन्ना आयुक्त(विकास)।